राजस्थान सरकार

कार्मिक(क–3/शिका)विभाग

22

क्रमांकःप02(157)का/क-3/97. जयपुर,दिनांकः 17-7-2013

परिपत्र

समस्त अति0 मुख्य सचिव,
समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त जिला कलेक्टर, समस्त विभागाध्यक्ष,

प्रायः यह महसूस किया गया है कि कार्मिक विभाग में प्राप्त विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों की शिकायतें प्राप्त होने पर उन शिकायतों को संबधित विभागों/विभागाध्यक्षों/जिला कलेक्टरों/संभागीय आयुक्तों को भिजवाते हुए उन पर टिप्पणी/कार्यवाही सुनिश्चित किंये जाने हेतु प्रेषित की जाती है परन्तु संबधित विभागों को भिजवाई गई उक्त शिकायतों पर किसी प्रकार की टिप्पणी/जांच कार्यवाही काफी समय तक प्रेषित नही की जाती है। टिप्पणी/कार्यवाही के अभाव में अधिकारियों के विरूद्ध शिकायतें काफी समय तक लम्बित रहती है एवं उनका निस्तारण नही हो पाता है तथा अधिकारी सेवानिवृत्त हो जाते है जिससे उनके विरूद्ध लगे आरोपों से बच जाते है।

यदि किसी अधिकारी को शिकायत की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया जाता है तो वह उक्त शिकायत पर जांच न कर दोषी अधिकारी को बचाने हेतु जांच प्रतिवेदन नही भिजवाता। ऐसी स्थिति में जांच अधिकारी अपनी रिपोर्ट छह माह की अवधि के अन्दर–अन्दर विभागाध्यक्षों को भिजवाएं अन्यथा विभागाध्यक्ष जांच अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही करने हेतु सक्षम है।

अतः समस्त विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि जिन अधिकारियों की शिकायतें प्राप्त होती है उनका निस्तारण/टिप्पणी छः माह की अवधि में कार्मिक विभाग को भिजवाने का श्रम करें।

भवदीय

(सी.के. मैथ्यू)
मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
2. सचिव, राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. सचिव, राज0 विधान सभा सचिवालय, जयपुर।
4. पंजीयक, राजस्व मण्डल, राज0 अजमेर।

(सुदर्शन सेठी)
प्रमुख शासन सचिव,